महत्वपूर्ण एवं खास

आईपीएस मुकेश गुप्ता, रजनेश सिंह एफआईआर मामले में बड़ा मोड़, जिस टीआई के बयान पर मामला दर्ज किया गया

टीआई ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा, उससे जबरिय लिखवाया गया, कहा, मेरी जान को खतरा है

रायपुर। डीजी मुकेश गुप्ता और नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ ईओब्लू द्वारा दर्ज मामले में एक बड़ा टर्न आ गया है। ईओडब्लू के इंस्पेक्टर आरके दुबे के बयान के आधार पर दोनों आईपीएस अफसरों के खिलाफ फोन टेप करने और नान मामले में फर्जीवाड़ा करने के लिए विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया, इंस्पेक्टर दुबे ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर चौंका दिया है कि उससे जबर्दस्ती बयान लिया गया।

शिक्षाकर्मी संघ बजट से निराश, संजय शर्मा ने कहा-सरकार से थी बड़ी उम्मीदें, अधूरी रह गई सारी मांगें

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार बदलावपुर के साथ बजट पेश करते हुए कहा कि यह नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाला बजट है. लेकिन इस बजट से शिक्षाकर्मी संघ निराश है. शिक्षाकर्मी संघ की ओर से जारी बयान में कहा कि एक बार फिर सरकार ने उनकी मांगों को लंबित रख दिया है. नई सरकार से बड़ी उम्मीदें थी. लेकिन हमारी मांगें अधूरी रह गई. छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बजट कहा कि सरकार के जनघोषणा पत्र में शिक्षाकर्मियो के उल्लेखित विषय का बजट में घोषणा नही होने से शिक्षाकर्मियों में गहरा आक्रोश है।

युवती का अपहरण कर नई राजधानी में गैंग रेप, दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। पंडरी कपड़ा मार्केट के पास मंगलवार की रात दो बदमाशों ने सरेराह युवती का अपहरण किया और दुष्कर्म किया। आरोपी उसे नई राजधानी लेकर गए और सूनसान सड़क पर जबरदस्ती करने के साथ उसका वीडियो बनाया। बाद में आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने जसवंत पटेल और अजय सेन को गिरफ्तार किया। अजय टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस के अनुसार गाड़ी उसी की थी। वह अपने दोस्त जसवंत के साथ गाड़ी से आया। युवती पंडरी स्थित कपड़ा दुकान में ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जा रही थी। रास्ते में आरोपियों ने उसे रोका और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। युवती को जसवंत ने अपने कब्जे में रखा था, इस वजह से वह चीख पुकार नहीं मचा पा रही थी। सूनसान में ले जाने के बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसका मोबाइल भी छिन लिया और उसी में अश्लील वीडियो बनाया।

मिक्की मेहता की मौत, सुनवाई अन्य बेंच में ट्रांसफर

बिलासपुर। बहुचर्चित मिक्की मेहता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की एकलपीठ में सुनवाई होनी थी। लेकिन राज्य शासन द्वारा इस पर आब्जेक्शन लिए जाने के कारण मामले की सुनवाई अन्य बेंच में ट्रांसफर की गई। याचिका अन्य बैंच में स्थानांतरित होने के बाद बुधवार को बहस शुरु हुई लेकिन अधूरी रहने के कारण आगामी बहस 12 फरवरी की सुनवाई में होगी। ज्ञात हो कि मिक्की मेहता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत को लेकर मां श्यामा मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच किए जाने की मांग की थी। किन्ही कारणों से लंबं समय तक सुनवाई नहीं होने पर पुनर्विस्थापित याचिका लगाई गई है। अब राज्य शासन द्वारा मुकेश गुप्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश जारी किया गया है।

टोल टैक्स बंद फिर भी आरटीओ विभाग ने 56 करोड़ राशि वसूलकर बनाया रिकार्ड

नियमों का उल्लंघन, बढ़ा राजस्व फिर भी आरटीओ कानून की उड़ी धज्जियां

रायगढ़। जिले में 5 वर्षों में छोटी बड़ी वाहनों की संख्या में व्यापक इजाफा हुआ। इन वाहन चालक व ट्रांसपोर्टर द्वारा अत्यधिक आय अर्जित करने के लिए ओवर लोड सहित अन्य तरीके से नियमों का उल्लंघन करते रहे। जिन पर लगाम लगाने के लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा हर तरीके से लगाम लगाने के लिये कवयाद कर रहे है। जिसका प्रतिसाद टोल टैक्स समाप्त होने के बावजूद भी राजस्व आय में रिकार्ड बनाया गया है। यह रिकार्ड भी विभाग की मुस्तैदी से हो पाया है।

वही विभाग द्वारा लगातर कार्रवाई के बाद भी वाहन चालकों द्वारा बेखौफ होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे है। ओवर लोड, प्रतिबंधित मार्ग में वाहनों के प्रवेश पर किया जा रहा है। देखा जाए तो ओवर लोड वाहनों के चालान होने से सड़के भी जर्जर हो रही है जिससे शासन द्वार करोड़ो रूपये खर्च कर बनाये गए सड़क तय मियाद से पूर्व ही जर्जर हो रहे है जिसका खामियाजा आर्थिक नुकसान कर रुप में हो रहा है।

इसके साथ ही उक्त वाहन चालकों द्वारा अधिक फेरा लगाने के फेर में निर्दोश को अपने वाहनों के गिरफ्त में ले रहे है। जिन पर परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई का कोई असर नजर नही आ रहा है।

चेक पाइंट बंद फिर आरटीओ राजस्व वसूलने आगे

केंद्र शासन ने दो वर्ष पूर्व जीएसटी लागू करने के बाद सभी राज्यो में परिवहन कर एक समाना हो गया। वही परिवहन विभाग ने करो में आम जनता व राहत देते हुए टोल टैक्स को समाप्त करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बावजूद राज्य मार्ग नेशनल हाइवे में मौजूद उड़नदस्ता को हटाया गया। इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि अवैध वसूली व राजस्व में व्यापक स्तर में प्रभाव पड़ेगा। परंतु नियमो का उल्लंघन कर बड़े वाहन चालकों ने इसकी भरपाई कर दिये है।

ओवरलोड वाहनों का परिवहन भरना पड़ा जुर्माना

बड़े वाहन चालक नियमों को ताक पर रखते हुए वाहन का परिचालन जिले भर में कर रहे है। जिसमें सबसे अधिक कार्रवाई आरटीओ उड़नदस्ता विभाग ने ओवर लोड वाहनों पर किये है। गौरतलब है कि अत्यधिक मुनाफा कमाने के चक्कर मे ट्रांसपोर्टर द्वारा क्षमता से अधिक वाहनों पर कोयला गिट्टी को लोड करते हुए गंतव्य की ओर जाते है जिन पर आरटीओ की मुस्तैदी से इन पर गाज गिराते हुए जुर्माना वसूला गया है। आरटीओ विभाग ने ओवर लोड वाहनों पर सबसे अधिक कार्रवाई की है।

छग विधानसभा का अपना चैनल शुरू होगा

रायपुर। नई सरकार विधानसभा में जनता के लिए अच्छी सुविधाएं देने की ओर कदम बढ़ा रही है। विधानसभा की कार्यवाही लोग घर बैठे देख सकें इसके लिए लोकसभा व राज्यसभा की तरह उसका अपना चैनल शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकालने की भी कम की जाएगी। पहले यह 500 रुपए थी, अभी 50 रुपए हैं। अन्य दफ्तरों की तरह यहां 10 रुपए करने पर विचार चल रहा है।

स्पीकर डॉ. चरणदास महंत ने बताया कि प्रदेशवासियों को सदन का लाइव टेलिकास्ट करने के लिए चैनल शुरू करने पर विचार हो रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि खर्च पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण का ही सीधा प्रसारण दूरदर्शन के जरिए हो रहा है। सदन की कार्यवाही की रिकार्डिंग विधानसभा की वेबसाइट पर अपलोड करने के सुझाव पर उन्होंने सहमति दी। सत्र के लिए कुल सवालों में 1003 तारांकित और 823 अतारांकित हैं।

मकान में कम थी 122 फिट जमीन हाउसिंग बोर्ड देगा 2 लाख 65 हजार

रायगढ़। ब्रोशर में दिखाए गए सपने जैसा मकान नहीं बनाने पर फोरम ने हाउसिंग बोर्ड पर हर्जाना लगाया है और मकान की सेल डीड में बिल्टअप एरिया 122 फिट कम रहने पर इसे विभाग की गलती बताया है। अब संपदा अधिकारी, ईई एवं विभाग के कमिश्नर को खरीददार को 2 लाख 65 हजार रूपए लौटाने कहा है। शहर के युवक उत्सव वैश्य पिता एचआर वैश्य ने दीनदयाल पुरम प?स 1 में हाउसिंग बोर्ड का विज्ञापन देखकर मकान खरीदा था। ब्रोशर में विभाग ने बताया था कि 1 हजार वर्गफिट के इस मकान में करीब 836 वर्गफिट बिल्टअप एरिया होगा और इसके लिए क्रेता से 15 लाख रूपए एवं पंजीयन शुल्क 2 लाख 25 हजार रूपए लिए जाने थे। उत्सव ने एग्रीमेंट कर सारी किश्ते अदा कर दी और होम लोन से इसे अदा कर दिया। जुलाई 2016 में जब विभाग ने सेल डीड की तो उसमें एमआईजी कैटेगरी वाले इस फ्लैट में 122 फिट जमीन कम थी। डीड में हाउसिंग बोर्ड ने 1 हजार वर्गफिट के इस मकान में बिल्टअप एरिया 713 वर्गफिट बताया गया था। इस पर उत्सव ने आपत्ति की और ब्रोशर का हवाला देकर इसे विभाग की धोखाधड़ी बताया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर उन्होंने अपने अधिवक्ता पी कुंडु के माध्यम से फोरम का दरवाजा खटखटाया। उपभोक्ता फोरम में जज एमडी जगदल्ला ने भी आवेदक पक्ष के तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया और इसे सेवा में कमी का दोषी बताकर हाउसिंग बोर्ड को कसूरवार बता दिया है। अब फैसले के अनुसार विभाग के संपदा अधिकारी, ईई एवं कमिश्नर को हर्जाना देने कहा गया है। इसमें 122 फिट जमीन पर कम निर्माण के लिए 2 लाख 45 हजार रूपए वापस लौटाने के आदेश हैं और इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के लिए भी विभाग को 20 हजार रूपए उत्सव को देने कहा गया है।

शराब के नशे में युवक ने किया मेकाहारा में आधे घण्टे तक बखेड़ा

रायगढ़। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में दुर्घटना का शिकार हुए 25 वर्षीय युवक को डायल 112 को इलाज के लिए लाना भारी पड़ गया। जिसमे इलाज के लिए अस्पताल लाने के बाद मेकाहारा अस्पताल में आधे घण्टे तक नशे में बखेड़ा कर दिया। युवक की हरकतों से लोग सहमे हुए नजर आये।

मिली जानकारी कर अनुसार आलोक राम पैंकरा उम्र 26 वर्ष ग्राम महुआपाली का रहने वाला है। डायल 112 के जवानों ने बताया कि बोईरदादर इलाके से दुघर्टनाग्रस्त होने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर गए थे, जहां रोड किनारे लहूलुहान अवस्था मे पड़ा हुआ था। एवं उसकी मोटरसाइकिल एक तरफ गिरा पड़ा मिला जिसे फौरन मेकाहारा अस्पताल लाया गया। जहां अस्पताल के सुपुर्द किया गया।

प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पर दो साल का प्रतिबंध

रायगढ़ (आरएनएस)। क्रिकेट में बेहतरी के लिये और सभी प्रकार की चूक से बचने के लिये छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा बड़ा व कठोर निर्णय लेते हुए किसी भी खिलाड़ी के द्वारा गलत प्रमाण पत्र पेश किये जाने पर उसपर दो साल के लिये सीएससीएस के क्रिकेट प्रतियोगिता के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्त, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं लोकतांत्रिक ढंग से कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

CAREER HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Tarun 90% Yamini 98% Shraddha 93% Priyanka 96% Prerna 84% Hitendra 99% Akanksha 90% Geetanjali 99% Chetna 94% Arpita 93% Arpita 98% Rakesh 97% Sejal 88% Shiva 97%

Topper Students Last Session

Sushant 92% Prince 97% Kusum 98% Abhishek 99% Aayush 93% Prachi 97% Tulika 96% Pari 96% Aradhya 97% Ananya 99% Ashish 96% Ankita 99%

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480